



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 3076 वर्ष 2026

दशरथ और एक अन्य

याचिकाकर्ता(ओं)  
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : अभिषेक कुमार यादव, भोला नाथ यादव, इंद जीत यादव  
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सीएससी

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. दिनांक 25.09.2021 को प्रतिवादी संख्या 3-सहायक कलेक्टर/तहसीलदार, मड़ियाहू, जौनपुर द्वारा बेदखली और हर्जाने का आदेश पारित किया गया था। चूंकि उपरोक्त आदेश एकतरफा पारित किया गया था, इसलिए वापसी याचिका दायर की गई थी, जिसे दिनांक 15.12.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इससे व्यथित होकर अपील संख्या 4945/2025, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या D202514360004945 दायर की गई थी, जिसे प्रतिवादी संख्या 2-कलेक्टर/जिलाधिकारी, जौनपुर द्वारा दिनांक 30.09.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, अतः वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
2. अन्य तर्कों के अलावा, एक तर्क यह भी उठाया गया है कि शुरू की गई कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 25.09.2021 को एक आदेश पारित किया गया था, जो अवैध आदेश है क्योंकि इसे बिना कोई कारण बताए पारित किया गया है।
3. आगे यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध बेदखली और हर्जाने का आदेश पारित करते समय प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा नियम 2016 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का बिलकुल भी पालन नहीं किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध दायर की गई वापसी याचिका को भी बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया गया।
4. इस दृष्टिकोण से यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से अवैध है और इस न्यायालय द्वारा ऋषिपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2023 (1) ए.डी.जे. 154 के मामले में दिए गए कानून का उल्लंघन है।
5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेखों का परिशीलन किया।
6. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 25.09.2021 को पारित आदेश अस्पष्ट आदेश है और इस न्यायालय द्वारा ऋषिपाल सिंह (उपरोक्त) मामले में निर्धारित

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कानून का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए और इसे निरस्त किया जाता है।

7. रिट याचिका स्वीकार की जाती है। मामले को प्रतिवादी संख्या 3 - सहायक कलेक्टर/तहसीलदार, मड़ियाहू, जौनपुर के समक्ष वापस भेजा जाता है ताकि वे कानून के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित कर सकें।

19 फरवरी, 2026  
प्रमोद त्रिपाठी

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"